

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर

क्रमांक :- प.4(ई) (1) (6) नियमितिकरण/अलेसे-III/6655

दिनांक :- 27-01-2021

आदेश संख्या : 303/2020-21

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नलिखित कनिष्ठ लेखाकार जिन्हें कनिष्ठ लेखाकार/त.रा.ले. संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2013 में सफल घोषित होने पर 02 वर्ष की अवधि हेतु कनिष्ठ लेखाकार पद पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्ति दी गई थी, का राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम 17 के अन्तर्गत 02 वर्ष का परिवीक्षा प्रशिक्षण काल सफलता पूर्वक पूर्ण करने एवं कनिष्ठ लेखाकार पद का निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से वेतन नियमितिकरण किया जाता है-

क्र. स.	नाम कनिष्ठ लेखाकार (सर्वश्री)	लिक नम्बर	नई मेरिट	पुरानी मेरिट	जन्मतिथि	कनिष्ठ लेखाकार पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि	परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि	वेतन नियमितिकरण तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रेणुका साहू	12141	2328	2241	6-Jul-88	03.07.17	02.07.19	03.07.19

परिवीक्षा प्रशिक्षण काल पूर्ण करने पर इन्हें पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 17 के अन्तर्गत पे-मेट्रिक्स के लेवल L-10 में वेतन तथा नियमानुसार भत्ते देय होंगे।

उक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी का वेतन नियमितिकरण कार्मिक (क-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के निर्देशानुसार इस शर्त के साथ किया जाता है कि इनके विवाह के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में विचाराधीन वाद के निर्णय के पश्चात जो भी स्थिति बनती हो अर्थात् यदि विवाह विच्छेद होता है तो पुनः शपथ-पत्र विवाह विच्छेद के सबूत के साथ विभाग में यथासमय प्रस्तुत करेंगी।

उक्त आदेश कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2013 के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में लम्बित विभिन्न न्यायिक प्रकरणों/वादों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेंगे।

उक्त आदेश कार्मिक विभाग की आई.डी. संख्या 1069/DOP/A2 दिनांक 14.10.2020 एवं वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 252000965 दिनांक 24.12.2020 के अनुसरण में जारी किए जा रहे हैं।


(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक :- प.4(ई) (1) (6) नियमितिकरण/अलेसे-III/6655
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक :- 27-01-2021

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित कनिष्ठ लेखाकार।
6. रक्षित/निजी पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)